

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7  
संख्या- / XXVII(7)02 / 2010  
देहरादून: दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

Government of Uttarakhand  
Finance (G.R-P.C.) Section-7  
No / XXVII(7)02/2010  
Dehradun: Dated: 30 October., 2015

Office-Memorandum

विषय: राज्य सरकार के पुनरीक्षित/अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Revised/Pre revised Civil/Family Pensioners.

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की गतिपूर्ति हेतु वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-91/XXVII(7)02/2010, दिनांक 08 जून, 2015 द्वारा पुनरीक्षित पेंशन पर 113 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित पेंशन पर 223 प्रतिशत की पूर्व दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 015 से पुनरीक्षित पेंशन पर 119 प्रतिशत एवं अपुनरीक्षित पेंशन पर 234 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत पुनरीक्षित किये जाने की गी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The undersigned is directed to say that to compensate the rise in Consumer Price Index the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates for pensioners w.e.f 01-07-2015@119% for revised pension and 234% for unrevised pension superseding the earlier rates of 113% for revised pension and 223% for unrevised pension as were sanctioned vide this Office Memorandum No. 91/XXVII(7)02/2010 Dated 08-06-2015.

महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जिसमें एक रुपये का कोई अंश निहित हो, उसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा।

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded of to next higher rupee.

यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक वा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा वर्जनिक उपक्रमों आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से देश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.

यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन न्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं भणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the State Government.

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252 दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार न पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई त का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. As per orders issued in Om No-A-1-252/Ten/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(डा0 एम0सी0 जोशी)  
सचिव।

(Dr. M.C. Joshi)  
Secretary.

*Seepak*

संख्या-२११ / XXVII(7)02/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,  
*Deepak*  
(दीपक कुमार)  
अनु सचिव।

NO.२११ / XXVII(7)02/2010, the dated

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- Additional Chief Secy./All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 2- Additional Chief Secy./Principal Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of Dearness Relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
- 3- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 4- All Head of Department /Offices, Uttarakhand.
- 5- Accountant General Uttarakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- Director, Treasury and Finance services Uttarakhand .
- 7- Director, Account and Hukdari, 23 Laxmi road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand .
- 8- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 9- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand please.
- 10- Director, NIC Dehradun.

By Order,  
*Deepak*  
(Deepak Kumar)  
Under Secretary.